

MRA Sayette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਚੱ. 1299] No. 1299] नई दिल्ली, मंगेलवार, जुलाई 10, 2012/आषाढ़ 19, 1934 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 10, 2012/ASADHA 19, 1934

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2012

का.आ. 1540(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 का 11) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 12-8-2012 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 7, धारा 8 (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 18 और धारा 19 से संबंधित), धारा 20 और धारा 25 (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 188 से संबंधित) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 1/1/2003-सीएल-**V**] रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2012

S.O. 1540(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Companies (Second Amendment) Act, 2002 (11 of 2003), the Central Government hereby appoints the 12th day of August of 2012 as the date on which the provisions of Sections 7, 8 (in relation to Sections 18 & 19 of the Companies Act, 1956), 20 and 25 (in relation to Section 188 of the Companies Act, 1956) of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/1/2003-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.